उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-4/2023/वे0आ0-2-136/दस-35(एम)/2008-ई-1401339

लखनऊ : दिनांक : 20 फरवरी, 2023

कार्यालय ज्ञाप

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में गठित वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व सम्यक रूप से विचार-विमर्श कर संस्तुति दिये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16 जुलाई, 2021 द्वारा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के औचित्य एवं संस्तुतियों के फलस्वरूप राजकोष पर पडने वाले वित्तीय उपाशय का परीक्षण अपर मुख्य सचिव, वित्त के अधीन गठित समिति द्वारा किया जाना आवश्यक पाया गया है।

2- अत: वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों को मुख्य सचिव समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व वेतन समिति की संस्तुतियों के औचित्य एवं संस्तुतियों के फलस्वरूप राजकोष पर पडने वाले वित्तीय उपाशय का परीक्षण किये जाने हेतु निम्नवत समिति गठित की जाती है :--

1.	अपर मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष।
2.	श्री शाहिद मंजर अब्बास रिजवी, सचिव	-	सदस्य।
3.	श्री सरयू प्रसाद मिश्र, विशेष सचिव	-	सदस्य।
4.	श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव	-	सदस्य।
5.	श्री पी0डी0 उपाध्याय, विशेष सचिव	-	सदस्य।
6.	श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव	-	सदस्य।
7.	श्री पुष्पराज, विशेष सचिव	-	संयोजक सदस्य।

पुष्पराज
विशेष सचिव।

संख्या-4/वे0आ0-2-136(1)/दस-35(एम)/2008-E-1401339.तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) निजी सचिव, श्री शाहिद मंजर अब्बास रिजवी, सचिव, वित्त को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
(2) निजी सचिव, श्री सरयू प्रसाद मिश्र, विशेष सचिव, वित्त को विशेष सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
(3) निजी सचिव, श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव, वित्त को विशेष सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
(4) निजी सचिव, श्री पी0डी0 उपाध्याय, विशेष सचिव, वित्त को विशेष सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
(5) निजी सचिव, श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव, वित्त को विशेष सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

पुष्पराज
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।